



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक:- 17.12.2020

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद ।

आज दिनांक 17.12.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सूचना पर सरवर पीर रोड़ व मौहल्ला आजाद चौक से 250 ग्राम अवैध चरस सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- नसीम पुत्र नफीस कुंजड़ा निवासी सरवर पीर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 2- अंकित सैनी पुत्र विनोद सैनी निवासी सती वाला मन्दिर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- अवैध चरस 250 ग्राम ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 2- का0 ज्योति प्रकाश थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 3- का0 राहुल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।



थाना आदर्श मणडी

थाना आदर्श मणडी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद:-

थाना आदर्श मणडी पुलिस द्वारा दिनांक 16.12.2020 को समय 21.00 बजे मुन्डेट नहर पुल से सूचना पर अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ आशु पुत्र रामबीर सिंह निवासी गली नं0-3 मौहल्ला रेलपाल थाना आदर्श मणडी जनपद शामली को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मणडी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना कैराना

थाना थानाभवन

शामली पुलिस की सामूहिक बलात्कार की कोशिश मामले में प्रभावी पैरवी पर 04 अभियुक्तों को अपर जिला न्यायालय-07 मु0नगर द्वारा सुनाई गयी कठोर कारावास की सजा; साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया ।

अवगत कराना है कि वर्ष 2017 में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग युवती को रोहित पुत्र सुखपाल निवासी आईटीआई मनोहरपुर, थाना सदर बाजार जनपद स0पुर, दुष्यन्त पुत्र सतीश, सतीश पुत्र देवीसहाय, वीरेन्द्र पुत्र देवीसहाय निवासीगण दखौड़ी जमालपुर थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा दीवार कूदकर घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ तमचे के बल पर सामूहिक बलात्कार की कोशिश की थी । इस घटना के संबंध में युवती के परिजनों द्वारा दिनांक 26.11.2017 को थाने पर तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर दुष्कर्म की कोशिश, पॉक्सो एक्ट तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । इस मामले में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया । जनपद मुजफ्फरनगर की ADJ-7 मु0नगर में उक्त मामले का विचारण किया गया । इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में मॉनीटरिंग सेल को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये तथा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कराकर गवाही संपन्न कराई । पुलिस अधीक्षक शामली के प्रयास से मॉनीटरिंग सेल की निरंतर एवं प्रभावी पैरवी पर दिनांक 16.12.2020 को ADJ-7 जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त मामले में अभियुक्तगणों को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए सजा सुनाई है । जिसका विवरण निम्नवत है:-

1. रोहित व दुष्यन्त को (धारा 457 में 03 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 5000/- रु0 अर्थ दण्ड। धारा 354 में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रु0 जुर्माना, धारा 323 में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500/-रु0 जुर्माना व धारा 506 में 06 माह का कठोर कारावास व 500 रु0 अर्थ दण्ड।
2. सतीश को (धारा 325 में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रु0 जुर्माना, धारा 323 में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500/- रु0 जुर्माना व धारा 506 में 06 माह का कठोर कारावास व 500 रु0 अर्थ दण्ड ।
3. विरेन्द्र को (धारा 323 में 01 वर्ष कठोर कारावास व 500/- रु0 जुर्माना, 506 में 06 माह का कठोर कारावास व 500 रु0 अर्थ दण्ड।) । पीडिता के साथ हुए घिनौने कृत्य में हुई सजा से पीड़ित परिवार गदगद है और पीडित परिवार ने अभियुक्तों को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी भूमिका की सराहना की है ।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा शराब तस्कर गिरफ्तार कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची एवं 04 लीटर रेक्टिफाईड शराब बरामद ।

दिनांक 16.12.2020 की रात्रि पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर रजवाहा पटरी ग्राम भूरा से 10 लीटर अवैध कच्ची एवं 04 लीटर रेक्टिफाईड शराब सहित एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-मोमीन पुत्र कामिल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-अवैध कच्ची शराब 10 लीटर ।
- 2-अवैध रेक्टिफाईड शराब 04 लीटर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री रमेश चन्द थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2-उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।
- 3-का0 पवन थाना कैराना जनपद शामली ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

थाना कैराना पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.12.2020 की प्रातः 11.00 बजे थाना कैराना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 में 556/20 धारा 279,338,304,427 भादंवि में वांछित अभियुक्त सनी दयाल पुत्र श्यामलाल निवासी उडौली थाना सेक्टर 29 पानीपत हरियाणा को पानीपत बाईपास तमन्ना चिकन कार्नर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कैराना पुलिस द्वारा अवैध खनन में एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बालू भरा ट्रक बरामद:-

थाना कैराना पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.12.2020 को समय प्रातः 10.55 बजे यमुना बिज से चैकिंग के दौरान अभियुक्त अब्दुल कलाम पुत्र शौकीन निवासी ग्राम जौला थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से खान में प्रयुक्त बालू भरा ट्रक नं0-यूपी-12एटी-2518 बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा शराब तस्कर गिरफ्तार कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची एवं 01 किलो यूरिया बरामद ।

आज दिनांक 17.12.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर नेशनल इण्टर कालिज के पास से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 01 किलो यूरिया सहित एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- इरशाद पुत्र अकबर निवासी मोहल्ला सलेमपुर रोड नई बस्ती कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1-अवैध कच्ची शराब 20 लीटर ।

2- यूरिया 01 किलो ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री राजकुमार राजौरा थाना कांधला जनपद शामली ।

2-का0 फिरोज खान थाना कांधला जनपद शामली ।

3-का0 मोहेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।

